न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. : 52 / 2019

प्रार्थी

1. अर्जुन प्रजापत पुत्र ओमप्रकाश प्रजापत
2. महेन्द्र मीणा पुत्र रेगाराम मीणा
3. श्यामदास पुत्र गणपतदास
4. राजेन्द्रसिंह तुलसीसिंह
5. हनुमान प्रजापत पुत्र कानाराम
6. प्रकाश पुत्र भभूताराम
7. रफीम खान पुत्र फूल मोहम्मद
8. बुन्दू खां पुत्र गुलशेर खां
9. गोरीशंकर पुत्र माकणचन्द्र शर्मा
10. प्रकाश प्रजापत पुत्र जगदीश प्रजापत
11. महेन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह
12. कालूराम प्रजापत पुत्र गुमानाराम प्रजापत
13. मनोहरसिंह पुत्र रामसिंह
14. गिरवरसिंह पुत्र बजरंगसिंह
15. जगदीश प्रजापत पुत्र हनुमानाराम
16. समुद्रसिंह पुत्र हरिसिंह

निवासीगण हनुमान नगर, तनावड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत तनावड़ा जरिये सरपंच तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. भगाराम पुत्र पोलराम निवासी हनुमान नगर, तनावड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. रिलायन्स जियो इन्फोकोम लि. जोधपुर, बासनी ब्रिज के पास, जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 20.07.2019 द्वारा ग्राम पंचायत तनावड़ा एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदेश दिनांक 22.07.2019 जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के मकान की तीसरी मंजिल के ऊपर अप्रार्थी संख्या 3 कम्पनी का मोबाईल टॉवर लगाने की अनुमति प्रदान की गई।

– – –

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित व भंवरसिंह टापू (प्रार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता बी0 एल0 ढाका (अप्रार्थी संख्या 2 व 3)।

—आदेश — दिनांक : **04.02.2020**

संक्षिप्त में पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण हनुमान नगर, तनावड़ा के निवासी है। अप्रार्थी संख्या 2 भी हनुमान नगर, तनावड़ा का निवासी है। हनुमान नगर ग्राम पंचायत तनावाडा के सर्कल में स्थित है। ग्राम पंचायत तनावड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के आवेदन पर दिनांक 20.07.2019 को प्रस्ताव संख्या 10 पारित किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के मकान की तीसरी मंजिल की छत पर अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा टॉवर लगाने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसरण में दिनांक 22.07.2019 को अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी किया गया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना—पत्र 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश हुई।

पुनरीक्षण प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत तनावड़ा से मूल अभिलेख भी तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री बी0 एल0 ढाका ने वकालतनामा पेश किया। मूल अभिलेख प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से लिखित बहस पेश हुई तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस भी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी पंचायत निगरानी में बतलाया कि जैर निगरानी प्रस्ताव दिनांक 20.07.2019 एवं अनापत्ति प्रमाण—पत्र दिनांक 22.07.2019 विधि विरूद्ध व क्षेत्राधिकार विहीन होने के कारण निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव कोरम के अभाव में शून्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी करने से पूर्व हनुमान नगर के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं निवासी के हितो को दृष्टिगत नहीं रखा गया। घनी आबादी के मध्य मोबाईल टॉवर वहाँ के निवासियों के स्वास्थय के लिये अत्यन्त हानिकारक है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार टॉवर केवल खाली भूखण्डों पर लगाये जा सकते है। अप्रार्थीगण द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत तनावड़ा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 20.07.2019 को विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि यह है कि रिलायंस जियो इन्फ्राटेल प्राईवेट लि. भारत सरकार, दूरसंचार विभाग द्वारा पंजीकृत टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर व दूरसंचार सेवा प्रदाता कम्पनी है एवं उक्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन के आधार पर इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में प्राप्त शक्तियों के आधार पर भारत वर्ष में मोबाईल टॉवर्स स्थापित कर दूरसंचार सेवा आमजन को सुचारू रूप से उपलब्ध उपलब्ध करवाने हेतु स्थापना व संचालन करती है। भारत सरकार के वित मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.03.2012 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें दूरसंचार टॉवर्स को संस्थागत तंत्र में सम्मिलित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि दूरसंचार टॉवर्स किसी भी क्षेत्र के विकास एवं उन्नति के लिए आवश्यक है। यहां यह भी स्पष्ट करना समाचीन है कि जिस प्रकार किसी क्षेत्र के विकास के लिए सड़क, आवागमन के साधन, अस्पताल, स्कूल इत्यादि आवश्यक है, उसी प्रकार से

दूरसंचार टॉवर्स भी विकास के लिये अतिआवश्यक है एवं किसी भी व्यक्ति या समुदाय को अपने व्यक्तिगत लाभ एवं रंजिश के लिए किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा अथवा अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा भगाराम पुत्र पोलाराम मलकियत का एक परिसर जो कि हनुमान नगर, तनावड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपर में आया हुआ है एवं उक्त परिसर को अप्रार्थी रिलायंस जियो इन्फ्राटेल प्राईवेट लि. द्वारा दूरसंचार सेवा हेतु मोबाईल टॉवर स्थापित किये जाने की गरज से अप्रार्थी से लीज पर लिया गया एवं उक्त परिसर की छत पर टॉवर स्थापित करवाने हेतु ग्राम पंचायत तनावडा तहसील लूणी जिला जोधपुर द्वारा दिनांक 22.07.2019 को अप्रार्थी के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया तत्पश्चात् अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार उक्त परिसर की छत पर टॉवर स्थापित किये जाने की प्रक्रिया अमल में लाई गई। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि कम्पनी का कार्य आवश्यक सेवाऍ मेन्टेनेन्स अधिनियम, 1968 एवं दिनांक 06.02.2017 के राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अन्तर्गत ''आवश्यक सेवाएँ'' की परिभाषा की श्रेणी में होने के कारण तथा लाईसेन्स की शर्तों के अनुसार बिना किसी रूकावट के जनसाधारण को पर्याप्त कनेक्टीविटी उपलब्ध करवानी आवश्यक है उक्त सेवाएँ सार्वजनिक उपयोग की प्रकृति की है एंव उक्त सेवा को सुचारू रूप से आरम्भ करने से पूर्व उक्त सेवा हेतु इन्फ्रास्टेक्चर निर्मित कर सेवा का संचालन किया जायेगा चूंकि उक्त सेवा मोबाईल व इन्टरनेट सेवा से सम्बंधित है एंव उक्त सेवा हेतु भारत सरकार द्वारा कम्पनी को अनुज्ञप्ति दी गई है एंव अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार व स्थापित बाईलॉज के अनुसार टॉवर का निर्माण किया जाता है।

प्रार्थीगण द्वारा ऐसे कारण व ऐसी कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट निगरानी के साथ प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रार्थीगण को उक्त टॉवर से कोई हानि हुई हो एवं निगरानी में प्रार्थीगण द्वारा टॉवर स्थापित किये जाने से जहां तक मौहल्लेवासियों के स्वास्थ्य पर रेडियेशन से प्रतिकुल प्रभाव पडने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा कोई भी ऐसा ठोस दस्तावेज अथवा ऐसा साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि मोबाईल टॉवर से रेडियेशन उत्पन्न होता है एंव उक्त रेडियेशन मानव जीवन के लिये खतरनाक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्री–मैच्योर होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है चूंकि पंचायत निगरानी प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र संभावनाओं एंव आशंकाओं को आधार मानते हुए कि मोबाईल टॉवर से निकलने वाली तंरगों से मानव जीवन पर प्रतिकुल प्रभाव पड सकता है जबकि इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कोई ठोस व वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके की मोबाईल टॉवर की तंरगों से कोई हानि कारित होती हो अथवा पूर्व में कभी किसी को हुई हो एंव प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बद्नियतिपूर्वक व स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नही किया हैं। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्थान सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालयों के आदेशों के अनुसार मोबाईल टॉवर आवासीय व व्यवसायिक तथा सरकारी भवनों पर लगाया जा

सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार स्कूल परिसर के अन्दर/ऊपर, अस्पताल परिसर के अन्दर/ऊपर, कॉलेज परिसर के अन्दर/ऊपर, व खेल मैदानों के अन्दर/ऊपर एंव जेल परिसर की 500 मीटर की परिधि में स्थापित न करने के निर्देश जारी किये है परन्तु स्कूल, अस्पताल, कॉलेज व खेल मैदानों, रिहायशी परिसरों के आसपास मोबाईल टॉवर लगाने की रोक नहीं है। यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत रेडियेशन सम्बन्धी कोई भी शिकायत सुनने हेतु डिपार्टमेन्ट ऑफ टेलीक्मयूनिकेशन द्वारा ट्रम सेल की स्थापना हर राज्य स्तर पर कर रखी है एवं रेडियेशन सम्बन्धी किसी भी शिकायत का सुनने व जांच करने हेतु उक्त ट्रम सेल को अधिकृत किया गया है एवं प्रार्थीगण द्वारा उक्त संस्था के समक्ष कोई शिकायत दर्ज नही कराई गई। इस कारण प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

मोबाईल टॉवर पर स्थापित उपकरणों से निकलने वाली तंरगें नॉन–आयोनॉइजिंग तंरगे होती है एंवम् उक्त तंरगे एटोमिक एनर्जी एक्ट, 1962 के अधिनियम में रेडिएशन की परिभाषा में नहीं आती एवम् विभिन्न वैज्ञानिक शोधों द्वारा यह प्रमाणित हुआ है कि मोबाईल टॉवर पर स्थापित उपकरणों से निकलने वाली तंरगे टी.वी. ब्रॉडकास्टींग सिग्नल, एफ.एम. रेडियो, ए.एम. रेडियो, कोर्डलेस फोन, हाइटेंशन लाइन से निकलने वाली तंरगे के परस्पर कम फ्रिक्वेन्सी की होती है।

अप्रार्थी संख्या 3 टॉवर स्थापित करने वाली कम्पनी है जिसे भारत सरकार डिपार्टमेन्ट ऑफ टेलीक्मयूनिकेशन द्वारा एवं दूरसंचार विभाग, सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत वर्ष में टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रचर स्थापित करने हेतु अधिकृत किया है। उक्त कम्पनी का कार्य आवश्यक सेवाऍ मेन्टेनेन्स अधिनियम, 1968 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अन्तर्गत ''आवश्यक सेवाऍ'' की परिभाषा की श्रेणी में होने के कारण तथा लाईसेन्स की शर्तों के अनुसार बिना किसी रूकावट के जनसाधारण को मोबाईल नेटवर्क बाबत् सेवा उपलब्ध करवानी आवश्यक है उक्त सेवाऍ सार्वजनिक उपयोग की प्रकृति की है चूंकि उक्त सेवा मोबाईल दूरसंचार सेवा से सम्बंधित है एंव उक्त सेवा हेतु भारत सरकार द्वारा कम्पनी को अनुज्ञपत्ति दी गई है एंव अनुज्ञपति की शर्तों के अनुसार एंव डिर्पाटमेन्ट आफॅ टेलीकम्यूनिकेशन द्वारा समय–समय पर टावर स्थापित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये जाते है एंव उसी दिशा निर्देशों के अनुसार कम्पनी उक्त लीज पर लिये भूखण्ड पर नियमानुसार टावर स्थापित करती है। प्रार्थीगण द्वारा भारत सरकार डिपार्टमेन्ट ऑफ टेलीकॅम्यूनिकेशन को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि उनके द्वारा जारी की गई अनुज्ञपति एंव समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये जाते है उनकी अनुपालना करते हुए मोबाईल टॉवर स्थापित किये जा रहे है।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा दिंनाक 27/03/2012 को एक अधिसूचना जारी कर, दूंरसचार टॉवर्स को संस्थागत तंत्र में सम्मिलित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि दूंरसचार टावर्स किसी भी क्षेत्र के विकास एंव उन्नति के लिए आवश्यक है। यहॉ यह भी स्पष्ट करना समाचीन है कि जिस प्रकार किसी भी ग्राम व शहर के विकास के लिए सड़क, आवागमन के साधन, अस्पताल, स्कूल,

डेयरीबूथ, पुलिस चौकी, पुलिस थाना, इत्यादि आवश्यक है, उसी प्रकार से दूरसंचार टॉवर्स भी विकास के लिये अतिआवश्यक है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सिविल रिट संख्या 3878/2015 रामस्वरूप बनाम राजस्थान सरकार व अन्य एंव 14 अन्य सिविल रिट याचिकाओं में, जिसमें मोबाईल टॉवर से हाने वाले रेडियेशन से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव के बाबत बिन्दू उठाया गया था, जिसमें भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों का अवलोकन कर, उक्त 15 रिट याचिकाओं को निस्तारित करने हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–09–2016 में मोबाईल टावरों पर स्थापित उपकरणों से उत्सर्जित रेडियेशन से मानव जीवन एंव स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का खतरा या नुकसान होना नहीं माना गया एंव रेडिएशन के बिन्दू को बिना किसी आधार के एंव दस्तावेजी साक्ष्य के बिना याचिकाकर्ताओं के द्वारा याचिकाओं में अंकन करना मानकर खारिज किया गया। इसलिए प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मोबाईल टॉवर से होने वाले रेडियेशन के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दू को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा विस्तृत रूप से विवेचना करके निस्तारित कर दिया गया है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य हैं।

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा आम जनता की मिथ्या भ्रांतियो को दूर करने के लिए व्यापक रूप से दैनिक अखबारो में मोबाइल टावर्स एवं हैण्डसेट से होने वाले रेडियेशन के सम्बन्ध मे सूचना प्रकाशित की जाती है कि मोबाइल टॉवर्स से उत्सर्जित होने वाली किरणों से किसी भी तरह की बीमारियाँ होने के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नही है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर ई.एम.एफ. के संबध में प्रचलित भ्रातिंयो के निराकरण हेतु विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई है तथा संचार मंत्रालय द्वारा भी लोगों में फैली भ्रांतियों के निराकरण के लिए ही पाँच पुस्तिकाएँ भी जारी की गई है जिसमें रेडियेशन बाबत विस्तृत विवेचन किया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की स्थाई/अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

उक्त तथ्यों के अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि उक्त दूरंसचार टॉवर के सम्बन्ध में यदि माननीय न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दे दिया जाता है तो शहर वासियों को मिलने वाली दूरसंचार सुविधाएँ बाधित होंगी, जबकि रेडियेशन बाबत फैली भ्रंतियों के निराकरण के लिए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 05/09/2014 अनवान मुक्तिपार्क कॉआपरेटिव सोसायटी बनाम अहमदाबाद मुन्सिपल कॉरपोरेशन में दूरसंचार विभाग को निर्देश दिये है कि वह रेडियेशन बाबत फैली भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास करें, जिस पर दिनांक 13/11/2014 को दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा सभी टर्म सेल को इस बाबत निर्देशित किया गया है।

नगर निगम दिल्ली द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से टॉवर से निकलने वाले रेडियेशन के बारे में स्पष्टीकरण चाहा गया जिस पर उक्त संस्था ने अपने पत्र दिनांक 24/08/2009 को यह स्पष्ट किया कि दूर संचार मोबाईल टॉवर से होने वाला रेडिशन, रेडियों अथवा टेलिविजन से होने वाले रेडियेशन की तुलना में बहुत कम होता है।

माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने भी सिविल रिट पीटिशन संख्या 8283/2012 उनवान विजय वर्मा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ एच.पी. व अन्य का दिनांक 30/11/2015 को निस्तारण करते हुये स्पष्ट किया है कि केवल मात्र भ्रम होने के कारण दूरसंचार टॉवर्स से उत्सर्जित होने वाली ई.एम.एफ. को स्वास्थ्य के लिये हानिकारक माना जा रहा है एवं दूरसंचार टॉवर्स से उत्सर्जित होने वाली विकिरणो को स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक नही माना है। उक्त निर्णय का आपॅरेटिव भाग निम्न हैः–

"Now in teeth of the report submitted by the WHO and another report submitted by the SCENIHR, the individual opinions relied upon by the petitioners to claim that the EMF radiations from the Mobile Base Stations are source of health hazard, for the time being, can conveniently be brushed aside as having no scientific backing whatsoever and therefore, any such reports relied upon by the petitioners shall have to give way to the opinion rendered by the WHO and SCENIHR. However, it appears that some myths are being spread and circulated simply in order to create fear amongst the people, but then as aptly said by Nobel laureate Marie Curie that " Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less."

In view of the aforesaid discussion, we find no merit in these petitions and the same are accordingly dismissed, leaving the parties to bear their costs."

उक्त निर्णय के अतिरिक्त माननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा रिट याचिका मुक्तिपार्क का ऑपरेटिव सोसाइटी बनाम अहमदाबाद मुंसिपल कॉरपोरेशन व अन्य में यह निष्कर्ष निकाला कि दूरसंचार टावर से उत्सर्जित होने वाली विकिरणें स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं होती है एवं संबन्धित सरकारी विभागों को निर्देश भी दिये है कि वह टी.वी. रेडियों आदि के माध्यम से आमजनता में फैली भ्रान्तियों को दूर करें। उक्त निर्णय का आपॅरेटिप भाग निम्न हैः–

"Before parting with this matter, we deem it necessary to mention that the concerned authorities should, by way of communication through T.V., Radio etc. bring it to the notice of the people at large that there is no reason for them to fear the erection of Base Transceiver Station,

known as the Wi-Fi Mobile Tower. The reason why we are saying so is that the impression in the mind of a common man is that the Wi-Fi Mobile Towers erected all over the State has the potential to cause health hazard due to the emission of radioactive waves from the said tower.

In view of the aforesaid discussion, we have reached to the conclusion that the petitioners are not entitled to any of the relief as prayed for in the petition. The petition, being devoid of any merit, is accordingly ordered to be rejected. No costs."

हाल ही में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली ने रिट याचिका 8661/2015 अनवान रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसियेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दूरंसचार टावर से उत्सर्जित होने वाली विकिरणों के बाबत विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन कर प्रार्थी को इस बाबत पूछा गया कि क्यों सभी रहवासी मोबाइल फोन का उपयोग बंद कर दें। जिस पर पीटिशनर के अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब नही दिया। उक्त निर्णय का आपॅरेटिप भाग निम्न हैः–

"This court cannot, upon being approached by residents or be association of residents, interfere with the works undertaken in accordance with the prevalent policy. In fact, I have asked the counsel for the petitioner that why not all the residents of Sector-C, Pocket-4, Vasant Kunj give up the use of cellular phones, to obviate any threat perception from the use thereof or from the telecom towers essential to enable the use thereof. The counsel for the petitioner has chosen not to give any reply. Citizens not wanting to give up use of cell phones cannot approach the Court to push the towers and antennas essential for use thereof, from their own door steps to another person's door step; if at all they feel that the technology is harmful for them, all they have to do to give up the use of the same and in which case there would also be no need for towers and antennas required to be installed for enabling use thereof."

उक्त न्यायनिर्णयों से पूर्णतया स्पष्ट है कि दूरंसचार टावर पर स्थापित उपकरणों से उत्सर्जित होने वाली विकिरणें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नही होती है। निगरानीकार द्वारा उक्त निगरानी कानूनन म्याद अवधि के बाहर प्रस्तुत की गयी है तथा निगरानीकार को प्रस्ताव व आपत्ति प्रमाण–पत्र की जानकारी प्रारम्भ से होने के बावजूद गलत तथ्यों का उल्लेख कर निगरानी देर से प्रस्तुत करने की माफी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, निगरानीकार की उक्त निगरानी म्याद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। निगरानी का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। निगरानी के साथ प्रार्थी ने निगरानी में हुए विलम्ब को क्षमा करने का प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम पेश करते हुए बतलाया कि प्रार्थीगण को ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव की जानकारी दिनांक 17.09.2019 को हुई जब कम्पनी वालों ने अप्रार्थी संख्या 2 के मकान की छत पर काम करना शुरू किया जिसके समर्थन में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि निगरानीकार को प्रस्ताव की जानकारी प्रारम्भ से होने के बावजूद गलत तथ्यों का उल्लेख कर निगरानी देर से प्रस्तुत करने की माफी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत प्रस्तुत निगरानी मियाद से बाधित नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष अन्य प्रकरणों की सुनवाई के दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की वृहद पीठ द्वारा WLC(Raj) 2000(2) पेज–01 एस.बी. सिविल रिट याचिका सं0 1688/83 निर्णय दिनांक 18.02. 2000 प्रस्तुत हुआ जिसमें अभिनिर्धारित किया कि "Rajasthan Panchayat Rules 1972, R. 272-Exercise of Revisional power by Collector u/s 27-A of Act-Limitation- No period of limitation fixed by provision- Where statute omits to fix any period of limitation, court can not prescribe any period of limitation- In absence of period fixed by statute, power has to be exercised within reasonable time depending on facts of given case, though in cases, of fraud, misrepresentation, collusion, lack of jurisdiction, violation of statutory provisions and orders being void or against public interest, power can be exercised at any time- By not reading requirement of reasonable time in provision, same would become unconstitutional."

इसी प्रकार आर.आर.डी. 2015 पेज–356 पर दिये गये न्याय निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की वृहद पीठ में ने कालबाधित प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया " No time limit has been fixed for reference under section 82 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and under section 232 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 in respect of the land held by a Hindu Idol (deity) and thus a reference can made within a reasonable time, which will depend upon the facts and circumstances of the each case. Even if the fraud is alleged, the power must not be exercised after unreasonable period, such as, after several decades claiming rights over the land "

उपरोक्त न्याय निर्णयों में माननीय खण्डपीठ ने उचित समय सीमा में दायर करने के निर्देश दिये गये परन्तु उचित समय सीमा निर्धारित नहीं है तथा प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर निर्भर रहते हुए युक्तियुक्त अवधि में किया जाना कहा परन्तु

कपट, दुर्व्यपदेशन, दुःसन्धि, अधिकारिता के अभाव या कानूनी उपबन्धों के उल्लघन के मामलों में या आदेशों के शून्य या लोकनीति के प्रतिकूल होने की दशा में, शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है, बतलाया गया। अतः उक्त प्रस्तुत निगरानी भी उचित समय सीमा में मानते हुए निस्तारण किया जाना निश्चित करते है। पंचायत निगरानी का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार किया जा रहा है। इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति यह है कि प्रार्थीगण ने यह निगरानी ग्राम पंचायत तनावडा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 22.07.2019 के विरूद्ध पेश की है। निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में यह जाहिर किया है कि जिस स्थान पर टॉवर का निर्माण किया जा रहा है वह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में टॉवर लगने से टॉवर से उत्सर्जित होने वाले विकिरण वहां के निवासियों के लिये अत्यन्त हानिकारक है। अप्रार्थीपक्ष ने उच्च न्यायालयों के न्याय निर्णयों को प्रस्तुत कर स्पष्ट किया कि दूरंसचार टॉवर पर स्थापित उपकरणों से उत्सर्जित होने वाली विकिरणें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नही होती है।

निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने अपनी निगरानी में यह भी जाहिर किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बैठक दिनांक 20.07.2019 की बैठक कोरम पूरा नहीं था फिर भी ग्राम पंचायत ने कोरम के अभाव में प्रस्ताव पारित कर दिया। हमने ग्राम सेवक द्वारा प्रस्तुत मूल बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन किया ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.07.2019 के कार्यवाही पर चार सदस्यों के साथ–साथ सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तनावड़ा के हस्ताक्षर होना पाया गया तथा दिनांक 22.07.2019 को अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी जारी किया गया है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली के सलंग्न हो। निर्णय प्रति के साथ प्राप्त मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत तनावड़ा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

निर्णय दिनांक 04.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.03.06 10:53:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: